से करवाया गया, जहाँ पर उक्त सामग्री पूर्ण गुणवत्ता की पाये जाने के उपरांत वार्डो मे कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करवाया गया साथ ही ट्रिचिंग ग्राउन्ड में बदबु होने से और संक्रामक बीमारियों का खतरा बने रहने से कीटनाशन पाउडर का छिड़काव कराये जाने के उद्देश्य से सामग्री स्वच्छता निरीक्षक को सौंपी गयी तथा सामग्री का उपयोग जनहित को दृष्टिगत रखते हुये किया गया तथा किसी व्यक्ति को विशेष लाभ पहुंचाने के लिये सामग्री क्रय नही की गयी है।

यह कि दिनांक 08.08.2023 को भाव पत्र कोटेशन के माध्यम से फिनोलिक पाउडर 2450 कि.ग्रा., ए.एस. ट्रेडर्स, मेन रोड, अमरवाड़ा से रुपये 40/– प्रति कि.ग्रा. की दर से क्रय की गयी और निकाय में उक्त सामग्री 8.3.24 को ही प्रदान की गयी जिसकी टेस्टिंग, भारत सरकार एम.एस.एम.ई. परीक्षण प्रयोग शाला गोविन्दपुरा भोपाल से करवाया गया, जहाँ पर उक्त सामग्री पूर्ण गुणवत्ता की पाये जाने के उपरांत वार्डों मे कीटनाशन दवाओं का छिड़काव करवाया गया साथ ही ट्रिचिंग ग्राउन्ड मे बदबू होने से और सक्रामक बीमारियों का खतरा बने रहने से कीटनाशक पाउडर का छिड़काव कराये जाने के उद्देश्य से सामग्री स्वच्छता निरीक्षक को सौंपी गयी तथा सामग्री का उपयोग जनहित को दृष्टिगत रखते हुये किया गया तथा किसी व्यक्ति को विशेष लाभ पहुंचाने के लिये सामग्री क्रय नही की गयी है।

यह कि दिनांक 16.08.2023 को भाव पत्र कोटेशन के माध्यम से फिनोलिक पाउडर 2480 कि.ग्रा. अर्श इंटरप्राइजेज, कोलार रोड भोपाल से रुपये 40/– प्रति कि.ग्रा. की दर से क्रय की गयी और निकाय में उक्त सामग्री 26.08.2023 को ही प्रदान की गयी जिसकी टेस्टिंग, भारत सरकार एम.एस एम.ई. परीक्षण प्रयोग शाला गोविन्दपुरा, भोपाल से करवाया गया, जहाँ पर उक्त सामग्री पूर्ण गुणवत्ता की पाये जाने के उपरांत वार्डो में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करवाया गया साथ ही ट्रिचिंग ग्राउन्ड में बदबु होने से और डेंगू जैसी बीमारी की रोकथाम हेतु मलेरिया अधिकारी के निर्देश पर माह जून से अक्टूबर तक उक्त बीमारियों का प्रकोप अधिक रहता है तथा मानसून बारिश प्रांरभ होने से एनाफिलिस की संख्या में बढ़ोत्तरी होती है और जिले के नगरीय क्षेत्र में अगस्त 2023 मे दो डेंगू प्रभावित व्यक्ति पाये गये, उक्त व्यक्ति अकबर वार्ड और गुरूनानक वार्ड के थे जहाँ पर डेंगू की बीमारी की रोकथाम किया जाना आवश्यक था क्योकि दोनों व्यक्ति की उक्त बीमारी से मृत्यु होने से नागरिकों में भय का वातावरण बना था और डेंगू बीमारी की रोकथाम किया जाना आवश्यक था तथा भविष्य मे संक्रामक बीमारियों का खतरा बने रहने से कीटनाशक पाउडर का छिड़काव कराये जाने के उद्देश्य से सामग्री स्वच्छता निरीक्षक को सौंपी गयी तथा सामग्री का उपयोग जनहित को दृष्टिगत रखते हुये किया गया तथा किसी व्यक्ति को विशेष लाभ पहुंचाने के लिये सामग्री क्रय नही की गयी है।

यह कि दिनांक 21.11.2023 को भाव पत्र कोटेशन के माध्यम से फिनोलिक पाउडर विधान सभा निर्वाचन 2023 में 1400 कि.ग्रा. दिव्य इंटरप्राइजेज, औरामाल, शाहपुरा भोपाल से रुपये 64/– प्रति कि.ग्रा. की दर से क्रय की गयी और निकाय में उक्त सामग्री दिनांक 24.1.2024 को ही प्रदान की गयी, जिसकी टेस्टिंग एम.पी. लघु उद्योग निगम, लिमिटेड, इंदौर परीक्षण प्रयोग शाला से करवाया गया, जहाँ पर उक्त सामग्री पूर्ण गुणवत्ता की पाये जाने के उपरांत वार्डों में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करवाया गया साथ ही ट्रिचिंग ग्राउन्ड मे बदबु होने से और संक्रामक बीमारियों का खतरा बने रहने से कीटनाशक पाउडर का छिड़काव कराये जाने के उद्देश्य से सामग्री स्वच्छता निरीक्षक को सौंपी गयी, क्योकि शीघ्र ही लोक सभा के चुनाव संपादित होने वाले थे अतः मतदान केन्द्रों पर भी सफाई संबंधी व्यवस्था किया जाना था तथा इसी उद्देश्य से शहर की साफ सफाई और संक्रामक बीमारियों से सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुये उक्त सामग्री का उपयोग जनहित को

दृष्टिगत रखते हुये किया गया तथा किसी व्यक्ति को विशेष लाभ पहुंचाने के लिये सामग्री क्रय नहीं की गयी है।

महोदय जी यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि राशि रुपये 2,50,000/– से नीचे के मूल्य की सामग्री को क्रय करने का अधिकार मुख्य नगर पालिका अधिकारी को ही है और उनकी अनुशंसा पर ही उक्त सामग्री आवश्यकता अनुसार क्रय की गयी है तथा मेरे किसी निर्देश पर उक्त सामग्री क्रय नहीं की गयी है।"

विवेचना–06

श्री शफीक खान के विरूद्ध नगर पालिका परिषद, सिवनी में लगभग 9 माह के अंतराल में पृथक–पृथक नोटशीट के माध्यम से 19222 किलो ग्राम फिनोलिक पाउडर खण्डों में विभक्त कर पृथक–पृथक तथा अपेक्षाकृत अधिक दरों पर क्रय किया जाकर निकाय को आर्थिक हानि पहुंचाने के लिये आक्षेपित किया गया है। उनके द्वारा प्रस्तुत प्रतिवाद उत्तर एवं अभ्यावेदन का नियमों तथा उपलब्ध अभिलेखों के प्रकाश में परीक्षण किया गया।

श्री शफीक खान द्वारा प्रस्तुत प्रतिवाद उत्तर में उल्लेख किया गया है कि आवश्यकता के अनुरूप कोटेशन के माध्यम से फिनोलिक पाउडर क्रय करने की कार्यवाही की गई है तथा दरों की अनुशंसा निविदा समिति द्वारा की गई है। अभिलेखों के परीक्षण से ज्ञात होता है कि नगर पालिका परिषद, सिवनी में जून 2023 से मार्च 2024 के बीच की अवधि में 19,222 किलोग्राम फिनोलिक पाउडर पृथक–पृथक दरों पर, जिसमें स्वीकृत दर रूपये 34.51 प्रति किलोग्राम से लेकर रूपये 64 प्रति किलोग्राम तक है, क्रय किया गया है। इससे परिलक्षित होता है कि सामग्री का विधिवत आंकलन नहीं किया गया तथा एक ही प्रकृति की सामग्री के क्रय के लिये नियमानुसार निविदा की कार्यवाही नहीं की गई।

श्री शफीक खान द्वारा अपने अभ्यावेदन में उल्लेख किया गया है कि माह जून से अक्टूबर तक मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियों का प्रकोप रहता है। बीमारियों की रोकथाम हेतु वार्डों में तथा ट्रेचिंग ग्राउण्ड में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया गया है। यहां यह उल्लेखनीय है कि जब यह संज्ञान में था कि प्रतिवर्ष जून से अक्टूबर माह तक संक्रामक बीमारियों का प्रकोप रहता है तथा कीटनाशकों के छिड़काव की आवश्यकता होती है, तब सामग्री की आवश्यकता का आंकलन कर विधिवत खुली निविदा के माध्यम से प्रतिस्पर्धी दरों पर सामग्री क्रय की कार्यवाही क्यों नहीं की गई। अध्यक्ष एवं नगरपालिका परिषद के अधिकारियों द्वारा संगनमत होकर जानबूझकर नियमों में वर्णित प्रक्रियाओं का खुला उल्लंघन करते हुये लगभग प्रतिमाह पृथक–पृथक नोटशीट के माध्यम से आवश्यकता से अधिक मात्रा में फिनोलिक पाउडर क्रय की कार्यवाही की गई, जिसमें दरों का मिलान किया जाना नहीं पाया गया है तथा प्रचलित दर से अधिक दर पर क्रय किया गया है। फिनोलिक पाउडर की अधिक दर स्वीकृत की जाकर निकाय को आर्थिक हानि पहुंचाई गई है, जिसके लिये निकाय के अधिकारियों के साथ–साथ नगर पालिका परिषद, अध्यक्ष, श्री शफीक खान भी उत्तरदायी पाये गये हैं, उन पर अधिरोपित आरोप प्रमाणित पाया गया है।

आरोप क्रमांक–07

यह कि उक्त अवधि में आपके द्वारा 5000 लीटर सफेद फिनाइल क्रय किये जाने हेतु रूपये 2,49,000/– की स्वीकृति प्रदान की गई। प्रदत्त स्वीकृति अनुसार जैम पोर्टल के माध्यम से दिनांक 21.04.2023 को रुपये 49.99 पर प्रति लीटर की दर से सफेद फिनाइल क्रय किया गया। जांच प्रतिवेदन अनुसार निकाय में सफेद एवं काला फिनाइल खंड–खंड में 40/– रुपए प्रति लीटर से लेकर रुप्ये 76/– प्रति लीटर की दर से पृथक–पृथक क्रय किया गया। अभिलेखों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि दिनांक 04.08.2023 को 5000 लीटर दर रुपये 49.99/– प्रति

लीटर, दिनांक 04.10.2023 को 2480 लीटर दर रुपये 40/- प्रति लीटर, दिनांक 12.12.2023 को 1200 लीटर दर रुपये 54/- प्रति लीटर, दिनांक 21.12.2023 को 1300 लीटर दर रुपये 76/- प्रति लीटर इस प्रकार दिनांक 04.08.2023 से दिनांक 21.12.2023 तक की अवधि में 5 माह में रुपये 40/- प्रति लीटर से लेकर रुपये 76/- प्रति लीटर की दर से पृथक–पृथक दर पर सफेद एवं काला फिनाइल कुल 14,880 लीटर क्रय किया जाना पाया गया है। अभिलेखों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि आवश्यकता का आंकलन किया जाकर वृहद स्वरूप की खरीदी निविदा के माध्यम से न करके नियमों का खुला उल्लंघन करते हुये टुकड़ों–टुकड़ों में लगभग हर माह खरीदी की गई है। हर माह अलग–अलग दर पर फिनाइल क्रय किया गया है, जिससे पृथक–पृथक दरों पर खण्ड–खण्ड में सामग्री क्रय करने से निकाय को आर्थिक हानि हुई है तथा नियमों में वर्णित क्रय संबंधी प्रक्रिया का उल्लंघन होना भी पाया गया है। मात्र 05 माह में इतनी अधिक मात्रा में फिनाइल खरीदने का कोई औचित्य भी अभिलेखों में नहीं पाया गया है तथा इतनी अधिक मात्रा में फिनाइल का क्रय संदिग्ध प्रतीत होता है, जिसके लिए निकाय के अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ–साथ आप भी उत्तरदायी प्रतीत होते है।

<u>प्रतिवाद उत्तर–C7</u>

अधिरोपित आरोप के संबंध में श्री शफीक खान, अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद सिवनी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवाद उत्तर निम्नानुसार है :–

"वास्तविक तथ्य यह है कि दिनांक 01.06.2023 को 5000 लीटर ब्लेक फिनाइल जैम पोर्टल कम्पेयर पद्धति से क्रय किया जाने के लिये रुपये 2,49,000/- की स्वीकृति प्रदान की गयी है तथा तुलनात्मक पत्रक में कैटेगिरी करंट एल–1 दर रुपये 49.93/- प्रति लीटर ब्लैक फिनाइल की दर प्राप्त हुयी तथा तुलनात्मक पत्रक के अनुसार दरें दिनांक 08.06.2023 को निविदा समिति के समक्ष स्वच्छता निरीक्षक, सहायक यंत्री, अध्यक्ष, मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा सामग्री की दरें पर्याप्त निरीक्षण/परीक्षण किया जाकर न्यूनतम दर की स्वीकृति हेतु अनुशंसा की गयी तथा दिनांक 09.06.2023 को स्वीकृति प्रदान करते हुये दिनांक 24.06.2023 को फर्म डी.पी. केमिकल, इन्दौर के द्वारा न्यूनतम मूल्य होने के कारण वाहन क्रमांक एम.पी.09–एचजी–0513 के माध्यम से 4800 लीटर फिनाइल 24 बेरल में प्रदान किया गया, जिसकी टेस्टिंग, मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम, इंदौर से करवाये जाने पर सामग्री पूर्ण गुणवत्ता वाली पाये जाने से नगर के वार्डो में स्थित सार्वजनिक शौचालय, नालियों, मछली मार्केट, मटन मार्केट एवं मृत जानवरों को उठाने के कार्य के अतिरिक्त ट्रिचिंग ग्राउन्ड के आसपास छिड़काव हेतु स्वच्छता निरीक्षक को सौंपा गया तथा सामग्री का उपयोग जनहित को दृष्टिगत रखते हुये किया गया तथा किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से सामग्री क्रय नहीं की गयी एवं शासन के जैम पोर्टल की प्रक्रिया व नियमों का पालन करते हुये क्रय किया गया है और उक्त क्रय लोक हित में आमजन की मूलभूत सुविधा को उपलब्ध कराये जाने के आशय से किया गया है।

यह है कि दिनांक 21.04.2023 को सफेद फिनाइल जैम पोर्टल कम्पेयर पद्धति से क्रय किया जाने के लिये रुपये 2,49,950/- की स्वीकृति प्रदान की गयी है तथा तुलनात्मक पत्रक मे केटेगिरी करंट एल–1 दर 49.99/- प्रति लीटर ब्लेक फिनाइल की दर प्राप्त हुई तथा तुलनात्मक पत्रक के अनुसार दरें दिनांक 19.05.2023 को निविदा समिति के समक्ष स्वच्छता निरीक्षक, सहायक यंत्री, अध्यक्ष, मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा सामग्री की दरें पर्याप्त निरीक्षण/परीक्षण किया जाकर, न्यूनतम दर की स्वीकृति हेतु अनुशंसा की गयी तथा दिनांक 02.06.2023 एवं दिनांक 05.06.2023 को स्वीकृति प्रदान करते हुये दिनांक 04.08.2023 को फर्म डी.पी. केमिकल, इन्दौर के द्वारा न्यूनतम मूल्य होने के कारण वाहन क्रमांक एम.पी.09–एचजी–0513 के माध्यम से 5000 लीटर फिनाइल 27

बेरल में प्रदान किया गया, जिसकी टेस्टिंग मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम, इंदौर से करवाये जाने पर सामग्री पूर्ण गुणवत्ता वाली पाये जाने से नगर के वार्डो में स्थित सार्वजनिक शौचालय, नालियों, मछली मार्केट, मटन मार्केट एवं मृत जानवरों को उठाने के कार्य के अतिरिक्त ट्रिचिंग ग्राउन्ड के आसपास छिड़काव हेतु स्वच्छता निरीक्षक को सौंपा गया तथा सामग्री का उपयोग जनहित को दृष्टिगत रखते हुये किया गया तथा किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से सामग्री क्रय नहीं की गई एवं शासन के जैम पोर्टल की प्रक्रिया व नियमों का पालन करते हुये क्रय किया गया है और उक्त क्रय लोक हित में आमजन की मूलभूत सुविधा को उपलब्ध कराये जाने के आशय से किया गया है।

यह कि दिनांक 07.12.2023 को 1300 लीटर ब्लैक फिनाइल भाव पत्र से क्रय किया जाने के लिये स्वीकृति स्वयं निविदा समिति के द्वारा प्रदान की गई है तथा 1300 लीटर ब्लैक फिनाइल दिव्य इंटप्राईजेज, औरा मॉल शाहपुरा, भोपाल से क्रय करने हेतु निविदा समिति के सदस्य, स्वच्छता निरीक्षक सहायक यंत्री एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी की अध्यक्षता में क्रय करने का निश्चय किया गया, चूकि उसका मूल्य राशि रुपये 1,00,000/— से कम का होने के कारण निविदा समिति ने स्वयं उक्त फिनाइल को क्रय किया है इस तथ्य की पुष्टि उक्त कार्यादेश की नोटशीट से होती है क्योकि मेरे द्वारा इस संबंध में फिनाइल क्रय करने की कोई स्वीकृति प्रदान नही की गयी है जिसके लिये मुझे प्रश्नाधीन नही किया जा सकता है, तथा मेरा उक्त क्रय से कोई संबंध नही है।

यह कि दिनांक 03.08.2023 को 2480 लीटर सफेद फिनाइल भावपत्र से क्रय किया जाने के लिये स्वीकृति स्वयं निविदा समिति के द्वारा प्रदान की गई है तथा 2480 लीटर सफेद फिनाइल अर्श इंटप्राईजेज कोलार रोड भोपाल से क्रय करने हेतु निविदा समिति के सदस्य, स्वच्छता निरीक्षक सहायक यंत्री एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी की अध्यक्षता में क्रय करने का निश्चय किया गया चूंकि उसका मूल्य राशि रुपये 1,00,000/— से कम का होने के कारण निविदा समिति ने स्वयं उक्त फिनाइल को क्रय किया है इस तथ्य की पुष्टि उक्त कार्यादेश की नोटशीट से होती है क्योकि मेरे द्वारा इस संबंध मे फिनाइल क्रय करने की कोई स्वीकृति प्रदान नही की गई है जिसके लिये मुझे प्रश्नाधीन नहीं किया जा सकता है, तथा मेरा उक्त क्रय से कोई संबंध नहीं है।

यह कि दिनांक 29.11.2023 को 1200 लीटर सफेद फिनाइल भावपत्र से क्रय किया जाने के लिये स्वीकृति स्वयं निविदा समिति के द्वारा प्रदान की गई है तथा 1200 लीटर सफेद फिनाइल दिव्य इंटप्राईजेज, औरा मॉल, शाहपुरा, भोपाल से क्रय करने हेतु निविदा समिति के सदस्य, स्वच्छता निरीक्षक सहायक यंत्री एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी की अध्यक्षता में क्रय करने का निश्चय किया गया चूंकि उसका मूल्य राशि रुपये 1,00,000/— से कम का होने के कारण निविदा समिति ने स्वयं उक्त फिनाइल को क्रय किया है इस तथ्य की पुष्टि उक्त कार्यादेश की नोटशीट से होती है क्योकि मेरे द्वारा इस संबंध में फिनाइल क्रय करने की कोई स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है जिसके लिये मुझे प्रश्नाधीन नही किया जा सकता है, तथा मेरा उक्त क्रय से कोई संबंध नही है।

यह कि नगर की जन स्वास्थ्य एवं सुरक्षा बीमारियों के दृष्टिगत रखते हुये निविदा समिति के द्वारा फिनाइल क्रय किया गया है तथा उक्त फिनाइल का उपयोग शहर में किया गया है तथा फिनाइल के कीमत में जो परिवर्तन है उसके संबंध मे निविदा समिति ही स्पष्टीकरण दे सकती है, मेरा उक्त खरीदी से कोई संबंध नही है।"

विवेचना–07

श्री शफीक खान, अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, सिवनी को नगर पालिका परिषद सिवनी में 05 माह में खंडों में विभक्त कर पृथक–पृथक नोटशीट के माध्यम से लगभग 14,830

लीटर फिनायल रुपये 40/– प्रति लीटर से लेकर रुपये 76/– प्रति लीटर तक की दर से क्रय कर निकाय को आर्थिक हानि पहुँचाने के लिये आक्षेपित किया गया है। आरोप के संबंध में उनके द्वारा प्रस्तुत प्रतिवाद उत्तर तथा अभ्यावेदन का उपलब्ध अभिलेखों तथा नियमों के प्रकाश में परीक्षण किया गया।

श्री शफीक खान द्वारा प्रस्तुत प्रतिवाद उत्तर में उल्लेख किया गया हैं कि नगर में स्थित सार्वजनिक शौचालय, नालियों, मछली मार्केट, मटन मार्केट एवं मृत जानवरों को उठाने के कार्य के अतिरिक्त ट्रैचिंग ग्राउण्ड में छिडकाव हेतु आवश्यकतानुसार फिनायल का क्रय उपयुक्त दर पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी की अध्यक्षता वाली निविदा समिति की दरों पर अनुशंसा पश्चात मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा ही किया गया है, उनके द्वारा फिनायल क्रय की कोई स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है।

श्री शफीक खान द्वारा सुनवाई के दौरान प्रस्तुत अभ्यावेदन के साथ फिनायल क्रय की दरों पर अनुशंसा हेतु निविदा समिति की बैठकों के निर्णय संबंधी नोटशीट की प्रतियां प्रस्तुत की गई है, जिनमें अध्यक्ष के हस्ताक्षर नहीं है। उनके हस्ताक्षर निविदा समिति के कार्यवाही विवरण में होंगे भी नहीं, क्योंकि नगर पालिका अध्यक्ष इस समिति में नहीं होते हैं। इससे यह प्रमाणित नहीं होता है कि फिनायल क्रय की प्रक्रिया में वे सम्मिलित नहीं है, या उनकी स्वीकृति/सहमति नहीं है।

जांच समिति द्वारा अपने प्रतिवेदन के साथ फिनायल क्रय संबंधी नोटशीट की प्रतियां भी संलग्न की गई है, जिनमें नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में श्री शफीक खान के हस्ताक्षर हैं। अतः उनके द्वारा प्रस्तुत तथ्य कि उनके द्वारा फिनायल क्रय की कोई स्वीकृति नही दी गई है। अभिलेखों के आधार पर सत्य नहीं पाया गया है।

श्री शफीक खान द्वारा फिनायल का कम समय में खंड–खंड में अत्यधिक क्रय तथा खपत एवं दरों में भिन्नता के संबंध में अपने प्रतिवाद उत्तर में कोई तथ्यात्मक जानकारी नहीं दी गई है।

नगर पालिका परिषद, सिवनी में निविदा प्रक्रिया से बचने के लिये तथा अधिक दर पर फिनायल क्रय कर अवांछित लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से खंड–खंड में अधिक दर पर तथा आवश्यकता से अधिक मात्रा में फिनायल क्रय किया जाकर, नगर पालिका परिषद को आर्थिक हानि पहुंचाई गई है, जिसमें अध्यक्ष की भी संलिप्तता अभिलेखों से परिलक्षित होती है। फिनायल क्रय की पूरी प्रक्रिया ही संदिग्ध प्रतीत होती है।

श्री शफीक खान का उक्त कृत्य मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 51 के विपरीत पाया गया है, जिसके लिये निकाय के अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ वे भी उत्तरदायी हैं, उनके विरूद्ध अधिरोपित आरोप प्रमाणित पाया गया है।

<u>आरोप क्रमांक–08</u>

यह कि उक्त पदावधि के दौरान नगरपालिका परिषद, सिवनी द्वारा निर्वाचन कार्य हेतु शौचालय/मुत्रालय की आवश्यकता प्रतिपादित करते हुये दोनों ही प्रकार की सामग्री का क्रय तुलनात्मक पद्धति से जेम पोर्टल से की गयी है। FRP Urinal एवं शौचालय संख्या 08 नग के लिये मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा दिनांक 20.10.2023 को स्वीकृति दी गयी। इसी प्रकार दिनांक 20.10.2023 को ही पृथक प्रकरण में FRP Urinal शौचालय 08 नग को क्रय करने की स्वीकृति रूपये 2.50 लाख दी गयी। दोनों ही सामग्रियों को जेम पोर्टल के माध्यम से तुलनात्मक आधार पर दिनांक 30.10.2023 को क्रय किया गया है, जिनकी न्यूनतम कीमत निम्नानुसार है:–

शौचालय – कुल लागत राशि रू. 249600 प्रतिनग / 31200

Urinal – कुल लागत राशि रू. 249520 प्रतिनग / 31190